न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्याः— 248/2026

कम्प्यूटर पंजीयन संख्याः— 2082/2026

रविन्द्र राजपूत बनाम अज्ञात।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारीः— श्री नवेन्दु कुमार मिश्रा
प्रार्थी/आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः— श्रीमती अलका मेहता

दिनांकः 03.07.2026—

प्रार्थी रविन्द्र राजपूत पुत्र गोकरण सिंह निवासी एन्कलेव नवोदय नगर रोशनाबाद, जिला हरिद्वार की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दिनांक 04.06.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के खाता संख्या 37825283249, भारतीय स्टेट बैंक IFSC Code- SBIN0012520 शाखा सूरा नंगला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के साथ मु0 47,700/—रुपये का ऑनलाईन फ्रॉड किया गया था, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अविलम्ब साईबर सैल पोर्टल में शिकायत दर्ज करायी गयी, जिस पर साईबर सैल द्वारा उक्त धनराशि में से कुछ धनराशि को होल्ड किया हुआ है। अतः उक्त धनराशि को प्रार्थी के खाता में रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

इस स्तर पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साईबर क्राइम सैल जिला हरिद्वार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि साईबर क्राईम सैल हरिद्वार की आख्यानुसार ऑनलाईन शिकायत संख्या 33506260008795 से कुल धनराशि मु0 47,700/— रुपये होल्ड/लीन किया जाना दर्शाया गया है।

प्रार्थी द्वारा उक्त धनराशि मु0 47,700/—रुपये को अपने खाता में रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अतः प्रार्थी की उक्त होल्ड धनराशि को निम्न शर्त पर रिलीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैः—

1. प्रार्थी कुल 50,000/—रूपये की अण्डरटेकिंग तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करे कि भविष्य में यदि उक्त धनराशि को लेकर कोई विवाद होता है तो वह रिलीज करायी गयी धनराशि को न्यायालय में अविलम्ब जमा करेगा।

<u>आदेश</u>

प्रभारी साईबर क्राईम सेल हरिद्वार को निदेशित किया जाता है कि शिकायत संख्या 33506260008795 दिनांकित 04.06.2026 से सम्बन्धित होल्ड धनराशि कुल 47,700/—रुपये को प्रार्थी के खाता संख्या 37825283249, भारतीय स्टेट बैंक IFSC Code- SBIN0012520 शाखा सूरा नंगला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 03.07.2026

(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।